न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास– दिनेश कुमार यादव, जिला कलक्टर,नागौर

रसद मामला संख्या–59/2015

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये रामजीवन बेनीवाल प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय, नागौर		भगवानाराम पुत्र पोकरराम हरिजन, निवासी सोमणा तहसील जायल जिला नागौर

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी श्री रामजीवन बेनीवाल ।
2. अप्रार्थी उपस्थित नहीं ।

निर्णय दिनांक– 22-5-2019

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के अर्न्तगत प्रस्तुत कर 1200 लीटर नीले रंग के केरोसीन मय ड्रम एंव ट्रोली को (Confiscate) सम्पहरण के आदेश प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया। जिस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर उसके विरूद्ध दिनांक 18.03.19 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
2. प्रकरण में प्रवर्तन अधिकारी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रवर्तन अधिकारी ने प्रार्थी की ओर से बहस में कथन किया कि दिनांक 14.03.2015 को 10 पी.एम. पर श्री रामनारायण एस.एच. ओ. पुलिस थाना, रोल मय जाब्ता वारते हल्का गश्त हेतु पुलिस थाने से रवाना होकर गश्त करते 11.30 पी.एम. पर गांव सोमणा पहुंचे। जहां पर मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम सोमणा में देवासियों के मौहल्ले में एक बाडा में केरोसीन के ड्रम भरे पडे है। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस जाब्ता देवासियों के मौहल्ले पहुंचकर आकस्मिक जांच की कार्यवाही की। वक्त जांच बाडे का गेट खुला मिला जिसमें एक ट्रोली जिसमें 6 केरोसीन के ड्रम भरे हुए पाये गये। उक्त ड्रमों के पास एक व्यक्ति उपस्थित मिला जिसको नाम पता पुछने पर अपना नाम भगवानाराम पुत्र पोकरराम हरीजन निवासी सोमणा बताया। मौके पर मिले ड्रमों को खोलकर चैक किया तो केरोसीन पाया जिसकी इतला वृताधिकारी जायल (श्री ताराचंद बैरवा) को दी तो जाब्ता सोमणा पहुंचा, वक्त निरीक्षण थानाधिकारी रोल मौके पर उपस्थित मिले। ड्रमों को चैक करने के दौरान सभी ड्रमों में केरोसीन भरा पाया गया जिसका रंग नीला था। प्रंत्येक ड्रम में 200 लीटर केरोसीन पाया इस प्रकार कुल 1200 लीटर केरोसीन मौके पर मिला। चूंकि केरोसीन नीले रंग का था तथा सरकार द्वारा अनुदानित है। यह केरोसीन उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को राशनकार्डो पर अनुदानित दर पर वितरण किया जाता है। नीले रंग के केरोसीन की खरीद विक्रय, भण्डारण के लिए राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के तहत् प्राधिकार पत्र लिया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी से केरोसीन लाईसेंस के बारे में पूछा गया तो कोई सन्तोषप्रद जवाब नहीं दिया तथा लाईसेंस नहीं होना बताया। इस प्रकार श्री भगवानाराम द्वारा केरोसीन का अवैध रूप से भण्डारण किया जाना पाया जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। नीले रंग का केरोसीन अवैध तरीके से गैर कानूनी भण्डारण, परिवहन करना, वितरण करना, खरीदना राजस्थान खाद्यान्न एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 और केरोसीन रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज एण्ड फिक्शेसन ऑफ सीलिंग प्राइस, ऑर्डर, 1993 के खण्ड 3 की स्पष्ट अवहेलना है। मौके पर मौतबीर गवाह उपस्थित नही होने से दूसरे जाब्ते में से श्री सुनिल 422 एंव श्री पुरबाराम 899 को मौतबीर बनाकर अप्रार्थी को 1200 लीटर नीले रंग के केरोसीन का मय ड्रम एंव ट्रोली को वास्ते सबूत जब्त सरकार वास्ते सुरक्षा सालखाना पुलिस थाना रोल की सुपुर्दगी में दिये जाने का कथन करते हुऐ प्रवर्तन अधिकारी ने अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से भण्डारित किये हुए 1200 लीटर नीले

कलक्टर, नागौर

रंग के केरोसीन मय ड्रम एंव ट्रोली को धारा 6ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत (Confiscate) सम्पहरण के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

3. प्रवर्तन अधिकारी की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया।
4. दिनांक 14.03.2015 को श्री रामनारायण एस.एच.ओ. पुलिस थाना, रोल द्वारा मुखबिर की इतला पर गांव सोमणा के देवासियों के मौहल्ले में बाडे का गेट खुला मिला जिसमें एक ट्रोली जिसमें 6 केरोसीन के ड्रम भरे हुए पाये गये। उक्त ड्रमों के पास एक व्यक्ति उपस्थित मिला जिसको नाम पता पुछने पर अपना नाम भगवानाराम पुत्र पोकरराम हरीजन निवासी सोमणा बताया। मौके पर मिले ड्रमों को खोलकर चैक किया तो केरोसीन पाया, जिसकी इतला वृताधिकारी जायल (श्री ताराचंद बैरवा) को दी तो जाब्ता सोमणा पहुंचा वक्त निरीक्षण थानाधिकारी रोल मौके पर उपस्थित मिले। छह ड्रम में 200 लीटर केरोसीन पाया इस प्रकार कुल 1200 लीटर केरोसीन मौके पर मिला। चूंकि केरोसीन नीले रंग का था तथा सरकार द्वारा अनुदानित है। यह केरोसीन उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को राशनकार्डो पर अनुदानित दर पर वितरण किया जाता है। नीले रंग के केरोसीन की खरीद–विक्रय, भण्डारण के लिए राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के तहत् प्राधिकार पत्र लिया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी से केरोसीन लाईसेंस के बारे में पूछा गया तो कोई सन्तोषप्रद जवाब नहीं दिया तथा लाईसेंस नहीं होना बताया। नीले रंग का केरोसीन अवैध तरीके से गैर कानूनी भण्डारण, परिवहन करना, वितरण करना, खरीदना राजस्थान खाद्यान्न एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश1976 के खण्ड 3 और केरोसीन रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज एण्ड फिक्शेसन ऑफ सीलिंग प्राइस, ऑर्डर, 1993 के खण्ड 3 की स्पष्ट अवहेलना है। मौके पर मौतबीर श्री सुनिल 422 एंव श्री पुरबाराम 899 को मौतबीर बनाकर श्री भगवानाराम को 1200 लीटर नीले रंग के केरोसीन का मय ड्रम एंव ट्रोली को वास्ते सबूत जब्त सरकार किया गया है।
5. इस प्रकार प्रकरण मे तथ्यो का समग्रता से अध्ययन एंव मनन के उपरान्त थानाधिकारी पुलिस थाना रोल द्वारा दिनांक 14.03.2015 को मौके पर की गई कार्यवाही सही प्रतीत होती है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्त शुदा अवैध रूप से भण्डारित किये हुए 1200 लीटर नीले रंग के केरोसीन मय 6 ड्रम को समपहरण (Confiscate) किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रकरण में जब्तशुदा ट्रोली को मुक्त किया जाता है। उक्त जब्तशुदा केरोसीन को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत नियमानुसार उपभोक्ताओ मे वितरण करवाने की नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु जिला रसद अधिकारी, नागौर को निर्देशित किया जाता है तथा प्राप्त राशि को राजकीय राशि घोषित की जाती हैं तथा पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु जिला रसद अधिकारी, नागौर को आदेश की प्रति भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर